

वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए समय पर चुकौती पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन दावा

बैंक का नाम :

----- से ----- तक की अवधि के लिए दावों का विवरण : 3 लाख रुपए तक संवितरित / बकाया ऋण

----- से ----- -- तक की अवधि के दौरान खोले गए नए खाते		----- को बकाया (पूर्ववर्ती अवधि की समाप्ति)		----- को कुल बकाया		नियमित/ पात्र महिला एसएचजी		ब्याज सबवेंशन की राशि
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	राशि

हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त ऋण समय पर चुकाए गए और समय पर भुगतान करने वाले महिला एसएचजी के लिए प्रभावी ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत करते हुए महिला एसएचजी खाते में अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन का लाभ दिया गया। नियमित दावा अथवा आगे शाखा स्तर से अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन दावा मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम रखते हुए प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(वर्ष के लिए समेकित यह दावा फार्मेट सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित और आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून के भीतर 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए दावों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है)